न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

निशा चौधरी पुत्री श्याम लाल जाति जाट निवासी बरसिंहपुरा प.सं. लढाणा, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--वादीया

ब नाम

राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति--

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादीया की ओर सें।

निर्णय दिनांक -- 31.08.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 249, 252 लगायत 257, 259 लगायत 262 किता 11 कुल रकबा 5.16 है0 वाके ग्राम वरसिंहपुरा प0ह0 लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। वादीया के पिता की जव मृत्यु हुई तो वादीया की उम्र मात्र 3-4 साल थी, विरासत के नामान्तकरण मे वादीया का नाम घरवालों ने श्रवणी पुत्री श्यामलाल लिखवा दिया तथा फिर जव वादीया का स्कूल मे एडमिशन करवाया गया तो घरवालों ने उसका नाम निशा चौधरी लिखवा दिया तथा उसके वाद के कागजात दस्तावेजों यथा मार्कशीट आधार कार्ड राशन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में वादिया का नाम में निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल दर्ज है। जबकि जमाबन्दी के नाम में श्रवणी पुत्री श्यामलाल है जिसको दुरूस्त कर निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है। वादीया के पिता का स्वर्गवास सन् 1999 में हुआ उस समय वादीया की उम्र मात्र 3 वर्ष के लगभग थी लोगों के कहे अनुसार वादीया के नाम श्रवणी पुत्र श्यामलाल के नाम से भरकर राजस्व रिकार्ड में उसके अनुसार दर्ज करवा दिया गया वादीया का जब स्कूल मे प्रवेश करवाया गया तो वादीया का नाम निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल के नाम से करवा दिया गया वादीया का बचपन से ही श्रवणी तथा निशा चौधरी दोनों नामे से गांव परिवार रिस्तेदारों में जाना पहचना जाता है जबकि वादीया के स्कूल रिकार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल नाम दर्ज है। जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में उसका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन व घरवालों की लापरवाही से श्रवणी पुत्री श्यामलाल दर्ज हो गया जो कि गलत है। वादीया का नाम मार्कशीट आधार कार्ड राशनकार्ड में निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल तथा जमाबन्दी में श्रवणी पुत्री श्यामलाल होने की वजह से वादीया को सरकारी सहायता व योजनाओं को प्राप्त काने से वंचित रह रही

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

है। वादीया का उक्त नाम दुरूस्ती हेतु आज से 5–7 रोज पहले तहसील कार्यालय दातारामगढ मे गयी तो तहसीलदार ने स्वय उक्त संशोधन करने से मना कर श्रीमान के समक्ष वाद दायर करने के लिए कहा जिसकी वजह से उक्त श्रीमाजी की सेवामें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। तहसीलदार दातारामगढ द्वारा नाम दुरूस्ती करने मे असमर्थता जाहिर करने से वादीया को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अत: दावा पेश कर अंत मे यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीया विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 249, 252 लगायत 257, 259 लगायत 262 किता 11 कुल रकबा 5.16 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा प0ह0 लढाणा तह0 दातारामगढ जिला सीकर मे वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नाम श्रवणी पुत्री श्यामलाल के स्थान पर वादीया का सही व वास्तविक नाम निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। वादीया ने स्वय तथा अन्य सहखातेदार प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र श्यामलाल ने वाद के समर्थन मे साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादीया का सही नाम निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम श्रवणी पुत्री श्यामलाल के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित्त तथ्यों का अवलोकन किया। वादीया व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन मे शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार से स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 249, 252 लगायत 257, 259 लगायत ,262 किता 11 कुल रकबा 5.16 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा प0ह0 लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादीया का नाम श्रवणी पुत्री श्यामलाल के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम श्रवणी उर्फ निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/21

(बृजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

निशा चौधरी बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 43 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक 31.08.2021

यह मुकदमा आज, वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर** 249, 252 लगायत 257, 259 लगायत 262 किता 11 कुल रकबा 5.16 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा प0ह0 लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादीया का नाम श्रवणी पुत्री श्यामलाल के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर श्रवणी उर्फ निशा चौधरी पुत्री श्यामलाल संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो ।

बीज .... मुवलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दाअलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	[illegible]	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प पेशी मुद्दई			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीशन			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	16	00	मीजान	1	00

नोट — [illegible] खर्चे के कॉलम [illegible] बाद डिक्री के जरिये दिखाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़